भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *190
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

मोरक्को के साथ द्विपक्षीय कानूनी सहयोग

***190. श्री विष्णु दयाल राम :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्विपक्षीय विधिक सहयोग के लिए भारत और मोरक्को के बीच हस्ताक्षरित समझौते के उद्देश्य और विशेषताएं क्या हैं ;

(ख) सरकार भारत-मोरक्को सहयोग के माध्यम से विधिक आधुनिकीकरण में सुधार लाने के लिए किस प्रकार कार्य कर रही है; और

(ग) इन विधिक और प्रौद्योगिकीय आदान-प्रदान के माध्यम से प्राप्त व्यापक राजनयिक और विकासात्मक परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

"मोरक्को के साथ द्विपक्षीय कानूनी सहयोग" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *190 जिसका उत्तर तारीख 01.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) : न्यायिक और विधिक क्षेत्रों में उपयोगी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और मोरक्को के बीच हस्ताक्षरित करार अर्थात् पारस्परिक विधिक सहायता संधियों (एमएलएटी) का उद्देश्य और विशेषताएं, यह करार राष्ट्रीय विधियों के अनुसार सिविल और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता के व्यापक उपायों को सुकर बनाता है ।करार के अधीन सहायता विनिर्दिष्ट रूप से निम्नलिखित को लागू होती है :

- समनों और अन्य न्यायिक दस्तावेजों या आदेशिकाओं की तामील ;
- अनुरोध पत्र द्वारा साक्ष्य लेना ;
- न्यायिक निर्णयों (मोरक्को साम्राज्य के मामले में), डिक्री (भारत गणराज्य के मामले में), समझौते और माध्यस्थम् पंचाटों का निष्पादन ।

भारत गणराज्य के विधि और न्याय मंत्रालय तथा मोरक्को साम्राज्य के न्याय मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित सहमति-पत्र (एमओयू) के उद्देश्य के साथ संरेखित करके विधिक क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाना है ।इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संस्थागत संबंधों को मजबूत करना, विधिक ज्ञान, अनुभवों और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और प्रशिक्षण, शोध और क्षमता निर्माण जैसी सहयोगी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है ।

समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- **विशेषज्ञता का आदान-प्रदान :** संबंधित मंत्रालयों और न्यायिक प्रणालियों के कामकाज से संबंधित अनुभवों और विशेषज्ञता को साझा करना ।
- **विधान विनिमय :** विधिक समझ और सहयोग बढ़ाने के लिए विधिक प्रकाशनों, बुलेटिनों और विधायी सामग्रियों का पारस्परिक साझाकरण ।
- **क्षमता निर्माण :** विभिन्न विधिक मुद्दों और अनुप्रयोगों पर संगोष्ठी, सम्मेलन और संयुक्त पाठ्यक्रम आयोजित करना ।
- **विधिक प्रशिक्षण और प्रतिनिधिमंडल का आदान-प्रदान :** वकीलों और विधिक विशेषज्ञों के लिए यात्राओं और प्रशिक्षण के अवसरों को सुकर बनाना, जिसमें एक-दूसरे के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी सम्मिलित है ।
- **न्यायिक सूचना प्रणाली :** राष्ट्रीय विधिक सूचना प्रणाली और संबंधित प्रोद्योगिकी प्रगति विकसित करने में सहयोग ।
- **कार्यान्वयन तंत्र :** वार्षिक सहयोग कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए उत्तरदायी एक संयुक्त समन्वय समिति का गठन जो व्यावहारिक और दोनों पक्षकारों की वित्तीय क्षमताओं के भीतर हैं ।

यह समझौता ज्ञापन भारत और मोरक्को में विधिक भातृत्व को विधि और विधान के क्षेत्र में अपने अनुभव और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है ।

(ख) : **भारत गणराज्य के विधि और न्याय मंत्रालय और मोरक्को साम्राज्य के न्याय मंत्रालय के बीच सहमति-पत्र (एमओयू)** के आधार पर सरकार **विधिक आधुनिकीकरण को** कई प्रमुख क्षेत्रों में

संरचित सहयोग के माध्यम से बढ़ावा दे रही है : एमओयू, दोनों देशों के बीच, सिविल और आपराधिक न्याय प्रणाली में **अनुभवों, विधान और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को सुकर बनाता है** ।

इसके अतिरिक्त, समझौता ज्ञापन **विधिक प्रकाशनों, बुलेटिनों और शोध के आदान-प्रदान को** बढ़ावा देता है, समझौता ज्ञापन **एक दूसरे के विधिक संस्थानों और प्रशासनिक ढांचे का अध्ययन करने के लिए** आपसी यात्राओं और प्रतिनिधिमंडल के आदान-प्रदान के लिए उपबंध करता है और **विधिक विशेषज्ञों के आपसी आदान-प्रदान के माध्यम से वकीलों के लिए प्रशिक्षण के अवसर** भी प्रदान करता है ।

(ग) : समझौता ज्ञापन (एमओयू) दोनों देशों के बीच विधिक और न्यायिक विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को सुकर बनाता है, जिससे विधिक क्षेत्र में परस्पर समझ और क्षमता निर्माण के माध्यम से राजनयिक संबंधों को बढ़ावा मिलता है । यह संगोष्ठी, सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संयुक्त आयोजन को बढ़ावा देता है, जिससे दोनों देशों को एक-दूसरे के सिविल और आपराधिक न्याय प्रणाली और विधिक सुधारों से सीखने की अनुमति मिलती है ।

प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण से, करार न्यायिक और विधिक क्षेत्रों से संबंधित राष्ट्रीय सूचना प्रणालियों के आदान-प्रदान, साझा डिजिटल व्यवहारों और उपकरणों के माध्यम से न्याय के परिदान में विकास को बढ़ावा देने पर जोर देता है । ये आदान-प्रदान संस्थागत सुदृढ़ीकरण, क्षमता विकास और विधिक ढांचे के आधुनिकीकरण में योगदान करते हैं, अंततः द्विपक्षीय स्तर पर विधि के शासन और न्याय सहयोग को बढ़ावा देते हैं ।

****